



दिल्ली प्रदूषण नियंत्रण समिति

पर्यावरण विभाग, (रा. रा. क्षेत्र दिल्ली सरकार)
पांचवां तल, आईएसबीटी बिल्डिंग, कश्मीरी गेट, दिल्ली-110006

हमें देखें: <http://dpcc.delhigovt.nic.in>

सार्वजनिक सूचना

कृपया ध्यान दें: चिह्नित सिंगल यूज प्लास्टिक (एसयूपी) कमोडिटीज के निर्माण, आयात, स्टॉकिंग, वितरण, बिक्री तथा उपयोग में संलग्न सभी यूनिट्स/निकाय

पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, भारत सरकार ने निम्नलिखित चिह्नित एसयूपी कमोडिटीज के निर्माण, आयात स्टॉकिंग, वितरण, बिक्री तथा उपयोग को दिनांक 1 जुलाई, 2022 से निषिद्ध कर दिया है:

- | | |
|---|--|
| 1. प्लास्टिक स्टिक सहित ईअर बड्स | 11. चम्मच |
| 2. गुब्बारों के लिए प्लास्टिक स्टिक्स | 12. चाकू |
| 3. प्लास्टिक इंडे | 13. स्ट्रॉ |
| 4. कैंडी स्टिक्स | 14. ट्रेज |
| 5. आईस-क्रीम्स स्टिक्स | 15. मोटाई के डिब्बों के चारों ओर रैपिंग अथवा पैकिंग फिल्मस |
| 6. डेकोरेशन के लिए पॉलीस्टीरीन (थर्माकोल) | 16. आमंत्रण पत्रों के चारों ओर रैपिंग अथवा पैकिंग फिल्मस |
| 7. प्लेट्स | 17. सिगरेट के पैकेट के चारों ओर रैपिंग अथवा पैकिंग फिल्मस |
| 8. कप | 18. प्लास्टिक अथवा पीवीसी बैनर्स 100 माइक्रॉन्स से कम |
| 9. ग्लासेज | 19. स्टिरर्स |
| 10. खाना खाने के कांटे (फॉर्कर्स) | |

➔ उपरोक्त 19 प्रतिबंधित एसयूपी 'ज' कमोडिटीज के बारे में संदेह की स्थिति में, आप ई-मेल: supdoubts@gmail.com पर स्पष्टीकरण प्राप्त कर सकते हैं।

➔ उपरोक्त 19 प्रतिबंधित एसयूपी 'ज' कमोडिटीज के अतिरिक्त, निम्नलिखित कमोडिटीज को भी पीडब्ल्यूएम रूल्स, 2016, अध्यातन तिथि के अनुसार संशोधित, के अधीन प्रतिबंधित कर दिया गया है:-

- कैरी बैग्स जो शुद्ध अथवा रिसाइकल्ड प्लास्टिक का बना हुआ हो, मोटाई में पचहत्तर (75) माइक्रान्स से कम हो। दिनांक 31 दिसंबर, 2022 से मोटाई में एक सौ बीस (120) माइक्रान्स से कम हो।
- प्लास्टिक शीट अथवा सामान जो कि कमोडिटी की पैकेजिंग, रैपिंग के लिए प्रयुक्त किया गया हो और मोटाई में 50 माइक्रान्स से कम हो। ऐसी स्थितियों को छोड़कर जहां पर ऐसे प्लास्टिक शीट्स की मोटाई उत्पाद की कार्यशीलता को प्रभावित करती हो।
- गुटखा, तम्बाकू तथा पान मसाला के भण्डारण, पैकिंग तथा बिक्री के लिए थैली का इस्तेमाल करने वाली प्लास्टिक सामग्री।
- नॉन-वूवेन प्लास्टिक कैरी बैग्स जो 60 ग्राम प्रति वर्ग मीटर (जीएसएम) से कम हो।

➔ प्रतिबंधित एसयूपी आइटम्स के निर्माण तथा प्रतिबंधित एसयूपी आइटम्स की बिक्री/भंडारण तथा पीडब्ल्यूएम रूल्स, 2016 के प्रावधानों के अन्य उल्लंघनों के सम्बंध में शिकायत निम्नलिखित के माध्यम से दर्ज करायी जा सकती है।

1. "ग्रीन दिल्ली ऐप" दिल्ली सरकार का एक मोबाइल ऐप
2. "SUP-CPCB", सीपीसीबी का एक मोबाइल ऐप

➔ दिल्ली प्रदूषण नियंत्रण समिति ने एसयूपी उन्मूलन के संबंध में एक कंट्रोल रूम की स्थापना की है जिसमें निम्नलिखित अधिकारी शामिल हैं:

फोन नं. - 011-23815435, ई-मेल - dpcc.cmc5@gmail.com

नोडल अधिकारी :-

श्री सुनील कुमार, पर्यावरण अभियंता (Env. Engineer) (9717593536)

ई-मेल - sunilkumar.dpcc@delhi.gov.in

टीम सदस्य :-

1. श्री चेतन अरोड़ा, कनिष्ठ पर्यावरण अभियंता (9654694750)
2. श्री अजय मलिक, कनिष्ठ पर्यावरण अभियंता (9319612226)

सदस्य सचिव (डीपीसीसी)

